/

दिनांक–26.04.2017 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:– संलग्न।

I. कृषि :–

1. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को स्पष्ट हिदायत दी गई कि रब्बी मौसम में सभी बीमित फसलों यथा– ईख, गेहूँ, चना, राई/सरसों, आलू एवं मकई के फसल कटनी प्रयोग में स्मार्टफोन से CCE Agri App के माध्यम से आंकड़ों को अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में बिना अपलोड किये आँकड़ों को मान्यता नहीं दी जायेगी।

   (अनुपालन–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. फसल कटनी प्रयोग में CCE डाटा का Agri App के माध्यम से अपलोड करने की स्थिति, फसल कटनी के सम्पादन की स्थिति एवं CCE Survey (फसल कटनी सम्पादन) तथा CCE Data Upload के बीच के GAP की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में अब तक 22% CCE Data Upload किया जा सका है। जिसमें उपस्थित जिलों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

   मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, किशनगंज, कटिहार, सहरसा एवं सुपौल की स्थिति संतोषजनक है। लखीसराय जिला में 33 प्रतिशत Data Gap है, जिसे प्रखण्ड में कैम्प कर पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। जमुई जिला में 44 प्रतिशत Data Gap है, जिला पदाधिकारी *से वार्त्ता कर समाधान हेतु अनुरोध किया गया। बेगूसराय जिला के 04 प्रखण्डों में अपलोड* की संख्या शून्य है। जिला पदाधिकारी से वार्त्ता कर समाधान हेतु अनुरोध किया गया। अररिया जिला की स्थिति दयनीय पायी गई क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया एवं जिला योजना पदाधिकारी से दूरभाष से वार्त्ता कर अविलंब सुधार लाने हेतु सख्त निदेश दिया गया। मधेपुरा जिला में 60 प्रतिशत डाटा अपलोड हुआ है, दो दिनों के अन्दर शत–प्रतिशत आंकड़ों को अपलोड करने का निदेश दिया गया। किशनगंज जिला के संबंध में बताया गया कि नगर निकाय में प्रतिनियुक्ति के कारण प्रगति धीमी हो गयी है। त्वरित गति से शत–प्रतिशत डाटा अपलोड करने का निदेश दिया गया।

3. CCE Agri App के Edit/Save Data Open नहीं होने के संबंध में जिलों द्वारा की गई पृच्छा का नोडल पदाधिकारी द्वारा समाधान हेतु मुख्य रूप से निम्नांकित जानकारी दी गई :–

   i) CCE Agri App का नया Version 1.2.1 डाउनलोड किया जाय। इसमें Auto Backup का System है तथा Data Loss नहीं होता है।

   ii) Internal Memory को खाली रखना है।

   iii) Android Version 4.1 से उपर होना चाहिए।

   iv) RAM कम से कम 1 GB होना चाहिए।

   v) Switch Off/ on करके देखा जाय।

   vi) App से Log out करके पुनः Login करें।

4. Thrashing Machine की अनुपलब्धता की स्थिति में पीट एवं ओसाकर वजन अंकित करें।

5. डाटा अपलोड के अनुमोदन से पूर्व जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि:-

   i. एक ही प्लॉट नं०/सर्वे नं० से संबंधित एक से अधिक डाटा अपलोड न हो। यदि ऐसा डुप्लीकेट डाटा अपलोड हो गया हो तो उसे चिन्हित् कर इसके लिए अलग डाटा बेस तैयार कर अविलंब प्रेषित करें।

ii. किसी-किसी जिला में CCE की कुल आयोजित संख्या से, अपलोड किये गये प्रयोगों की संख्या अधिक पाया गया है। ऐसे अतिरिक्त डाटा को चिन्हित कर अलग डाटा बेस तैयार कर अविलंब प्रेषित करें।

iii. किसी-किसी जिला में CCE डाटा अपलोड करने में मौसम का चयन त्रुटिपूर्ण होने के कारण डाटा बेस में रब्बी के स्थान पर खरीफ मौसम में आंकड़ा प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अलग डाटा बेस तैयार कर निदेशालय को अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि तदनुरूप संशोधन हेतु भारत सरकार को भेजा जा सके।

(अनुपालन-सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

6. रब्बी 2016-17 मौसम का किसी भी जिला से किसी फसल के फसल कटनी प्रयोग की एक भी अनुसूची अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि निदेशालय के पत्रांक-474 दिनांक-17.03.2017 द्वारा अब तक 75 प्रतिशत अनुसूचियों की प्राप्ति अपेक्षित था।

   रब्बी 2016-17 के बीमित फसलों के फसल कटनी प्रयोग की शत-प्रतिशत सम्पादित अनुसूचियाँ/परिशिष्ट-2 एवं 3 तथा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30.04.2017 तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय को प्रेषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ताकि समय पर आंकड़ा बीमा कंपनियों को भेजा जा सके।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

7. रब्बी 2016-17 मौसम का अब तक मात्र राई/सरसों का मात्र शेखपुरा जिला से एक (अपर समाहर्त्ता द्वारा निरीक्षित) निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शेष जिलों से किसी फसल की एक भी निरीक्षण प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। निर्धारित मापदंड के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

8. एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत होने की स्थिति में राजस्व ग्राम को इकाई मानकर फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाना है। जिसका उपज दर उक्त राजस्व गाँव के सभी पंचायतों के लिए मान्य है। प्राय: एक ही पंचायत का परिशिष्ट-3 प्रेषित किया जा रहा है फलत: उस राजस्व ग्राम से बने शेष पंचायतों का उपज दर प्रेषित नहीं किया जा सकेगा।

   अत: प्रत्येक वैसे राजस्व गाँव से बने सभी पंचायतों का उल्लेख परिशिष्ट-3 में करते हुए(समान आंकड़ा अंकित कर) प्रेषित करना आवश्यक है। परिशिष्ट-2 में भी सभी पंचायत के नाम के कॉलम में सभी पंचायतों का नाम अंकित किया जाय।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

9. कृषि सांख्यिकी के अन्य प्रतिवेदनों यथा-जिन्सवार, भूमि उपयोग विवरणी, द्रुत जिन्सवार, फसल सांख्यिकी सुधार से संबंधित प्रपत्र 1.0, 1.1 एवं 2.0 की मौसमवार लंबित सूची के आधार पर समीक्षा की गयी एवं सभी लंबित प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

10. वर्षामापी यंत्रों का रख-रखाव, अधिष्ठापन एवं उससे वर्षा का ससमय मापन कर प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के लिए एक कर्मी को चिन्हित् कर उनका नाम, पदनाम एवं दूरभाष सं० प्रेषित करने का निदेश दिया गया ताकि सम्यक् अनुश्रवण किया जा सके।

(अनुपालन-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

II. जीवनांक :-

1. **ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण**- मुंगेर एवं कटिहार जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसे प्रत्येक स्थिति में इस माह में प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

2. **नागरिक निबंधन प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण पत्र** – उपस्थित 14 जिलों में से खगड़िया एवं किशनगंज से उपयोगिता प्रमाण–पत्र क्रमशः 82,000/– एवं 79,880/– अप्राप्त है। संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन लभ्य कराना का निदेश दिया गया।

3. **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की मासिक स्थिति**– वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया कि माह मार्च, 2017 तक जिन जिलों का रजिस्ट्रीकरण प्रतिशत 20% से कम है उसे असंतोषप्रद माना जाय। इस दृष्टिकोण से गोपालगंज एवं शिवहर जिला को छोड़कर सभी जिलों की स्थिति असंतोषप्रद है। इस संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में आगामी माह तक प्रगति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

4. **स्वास्थ्य संस्थानों का डाटाबेस**– जिन जिलों से स्वास्थ्य संस्थानों का डाटाबेस का सी.डी. लम्बित है उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

5. **निरीक्षण प्रतिवेदन**– मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियॉ, अररिया एवं कटिहार से रजिस्ट्रीकरण इकाइयों का निरीक्षण प्रतिवेदन लम्बित है जिसे **एक सप्ताह के अन्दर** उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

6. **अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम**– मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियॉ, अररिया एवं कटिहार जिलों से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम लम्बित है जिसे प्रत्येक माह में नियमित रुप से 5वीं तारीख तक भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

7. **धारा 4(4) वार्षिक प्रतिवेदन**– जिलों से वर्षिक कार्यान्वियन प्रतिवेदन की अनुसूची पूर्ववर्त्ती वर्ष का माह फरवरी तक निदेशालय को लभ्य कराना है। वर्ष 2016 का प्रतिवेदन मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज एवं कटिहार से अप्राप्त है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को इस माह के अन्त तक निश्चित रूप से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

8. **टास्क फोर्स**– निदेश दिया गया कि सभी जिलों में जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर नियमित रुप से बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह के अन्दर लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

9. **जीवनांक प्रपत्र**– पूर्व माह में उपयोग किये गये प्रपत्रों की संख्या के अनुरूप प्रपत्रों का आवंटन करने का निदेश दिया गया। पुनः उनके द्वारा शहरी निकाय एवं हेल्थ सेन्टर को प्रपत्र नहीं उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दिया गया, ताकि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

(अनुपालन–जीवनांक प्रशाखा)

10. **नागरिक निबंधन प्रशिक्षण**– प्रखण्डवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–जीवनांक प्रशाखा)

III. लघु सिंचाई:-

पंचम लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2013-14 के कार्यों की समीक्षा की गई जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय एवं बांका जिला की सभी अनुसूचियों के ऑनलाईन डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

1. जमुई, किशनगंज, सहरसा, अररिया एवं मुंगेर जिला के वेंडर श्री सुनील कुमार को निदेशित किया गया कि निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाईन डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य समाप्त कर सूचित करें।

(अनुपालन वेंडर श्री सुनील कुमार)

2. खगड़िया और सुपौल जिला के वेंडर को ग्राम अनुसूची एवं शेष अनुसूचियों का डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य अविलम्ब समाप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन वेंडर श्री सुनील कुमार)

3. बेगूसराय जिला को निदेश दिया गया कि ग्राम अनुसूची के शेष डाटा वेन्डर को उपलब्ध करा दें एवं वेन्डर को निदेशित किया गया कि ग्राम अनुसूची एवं भूजल अनुसूची का डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य शीघ्र समाप्त करें।

(अनुपालन संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं वेंडर श्री सुनील कुमार)

4. शेखपुरा और पूर्णियाँ जिला के डाटा इन्ट्री कार्य लगभग समाप्त है। वेन्डर को निदेशित किया गया कि अविलंब वैलिडेशन कार्य समाप्त करें।

(अनुपालन वेंडर श्री सुनील कुमार)

5. लखीसराय जिला को निदेशित किया गया कि भूजल अनुसूची वेन्डर को पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है या नहीं, आश्वस्त हो लें। वेन्डर को निदेशित किया गया कि अविलंब डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य समाप्त करें।

(अनुपालन वेंडर श्री सुनील कुमार)

6. कटिहार एवं बांका जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ग्राम अनुसूची एवं योजना अनुसूची वेन्डर को शीघ्र उपलब्ध करावें साथ ही साथ ही वेंडर को निदेशित किया गया कि डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य अविलम्ब समाप्त करें।

(अनुपालन संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं वेंडर श्री सुनील कुमार)

7. मधेपुरा जिला के वेंडर को भूजल अनुसूची का डाटा इन्ट्री कार्य अविलंब समाप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन वेंडर श्री सुनील कुमार)

ग्राम अनुसूची के 17000 डाटा गैप के संबंध में वेन्डर को सूचित करने एवं जिला द्वारा वेन्डर को उपलब्ध कराये गये अनुसचियों की संख्या प्राप्त कर डाटा गैप के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही वेन्डर के यहाँ जाकर डाटा गैप के संबंध में अनुश्रवण करें।

(अनुपालन लघु सिंचाई गणना प्रशाखा)

IV. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण:-

मुंगेर, बेगुसराय, पूर्णियाँ, कटिहार एवं सहरसा निरीक्षणालय में चल रहे रान्यास के 74वें सत्र के कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर एवं सहरसा निरीक्षणालयों में आवंटित क्रमशः 64 एवं 67 प्रतिदर्शो के विरूद्ध माह मार्च, 2017 तक क्रमशः मात्र 29 एवं 21 प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया है। इसे काफी गंभीरता से लिया गया। उक्त दोनों निरीक्षणालयों को हर हाल में निर्धारित अवधि माह जून, 2017 तक सर्वेक्षण सम्पन्न कराने

का निदेश दिया गया। शेष सभी निरीक्षणालयों में सर्वेक्षण की स्थिति संतोषप्रद पायी गयी। बेगुसराय, मुंगेर एवं सहरसा निरीक्षणालय की भरी हुई अनुसूचियो के प्राप्ति की स्थिति काफी दयनीय पायी गयी। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि अपने-अपने निरीक्षणालयों में आवंटित प्रतिदर्शो के सर्वेक्षण का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण करें।

2. रान्यास के 74वें सत्र में प्रत्येक माह की सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की अनुसूचियॉ उसके अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दिया गया।
3. सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि रान्यास के 74वें सत्र के शेष बचे प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण हर हाल में 30 जून, 2017 तक पूरा कर लिया जाय। किसी भी परिस्थिति में एक भी प्रतिदर्श आहत न हो।
4. मात्र जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा निरीक्षण किया गया है शेष निरीक्षणालयों से निरीक्षण की स्थिति शून्य है जो काफी असंतोषजनक है। आंकड़ों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के लिए प्रत्येक माह निर्धारित प्रतिदर्शो के निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का ससमय प्रेषण हेतु सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया गया।

(अनुपालनः संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी)

V. स्थापना :-

(क) क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कार्यालय में ब्रॉड बैड सेवा आवंटन के अभाव में विच्छेदित हो जाने के कारण ससमय ईमेल से प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। इस मद में आवश्यक राशि तुरन्त आवंटित करने का निदेश दिया गया एवं सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से ससमय ईमेल से प्राप्त पत्रों के आलोक में ईमेल से प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रखण्डों से ससमय वर्षापात के आंकड़े प्राप्ति हेतु प्रति प्रखण्ड सौ रूपये प्रतिमाह की दर से एक मुश्त वर्ष भर के लिए जिलों को राशि का आवंटन एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ब्रॉड बैड सेवा हेतु प्रति कार्यालय 1500/- रूपये प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए 18,000/- रूपये एक मुश्त आवंटित करने की सूचना बजट शाखा द्वारा दी गई।

(अनुपालन- बजट शाखा/सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रमण्डलीय उप निदेशक, सांख्यिकी)

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मुंगेर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया को लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(अ नुपालन- सभी संबंधित जिला सां०पदाधिकारी)

(ग) समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि जिन क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालयों में उनके अधीनस्थ पदस्थापित कर्मियों का सेवा इतिहास लंबित है उसे एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को उपलबध करायें।

(अनुपालन-स्थापना शाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/ सभी संबंधित जिला सां०पदा०/प्रमण्डलीय उप निदेशक)

2. क्षेत्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के स्तर पर न्यायालयवाद के मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना यदि लंबित है तो लंबित प्रतिशपथ पत्र त्वरित कार्रवाई करते हुए दाखिल करें।

(अनुपालन-स्थापना शाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रमण्डलीय उप निदेशक)

3. समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० संबंधित वांछित प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालयों से निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध करायें।

(अनुपालन-स्थापना शाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रमण्डलीय उप निदेशक)

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

15/5/17

(पूनम)

निदेशक

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

बिहार, पटना

ज्ञापांक :– DES (योजना शखा) 12/2016/ 839 /पटना, दिनांकः– 15/5/17

प्रतिलिपिः– 1. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।

2. वरीय संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक (मुख्यालय एवं क्षेत्र)/सभी सहायक निदेशक (स्थापना सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)-1 एवं 2/प्रभारी, निदेशक कोषांग (मुख्यालय)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

15/5/17

निदेशक

ज्ञापांक :– DES (योजना शखा) 12/2016/ 839 /पटना, दिनांकः– 15/5/17

प्रतिलिपिः– श्री सुनील कुमार, उर्मिला इन्फो सौल्यूशन, प्रथम तल, बांके बिहारी सदन, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना-800001 को निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

15/5/17

निदेशक

ज्ञापांक :– DES (योजना शखा) 12/2016/ 839 /पटना, दिनांकः- 15/5/17

प्रतिलिपिः– श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/17

निदेशक

दिनांक 26.04.2017 (बुधवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1		प्रमण्डलीय उप निदेशक, कोशी (सहरसा)		
2	संजय कुमार प्रसाद	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पूर्णियॉ	9334322082	26/4/17
3	विनय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, मुंगेर	9430061941	26/4/17
4	संजय कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा	9931663407	26.04.17
5	[illegible]	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल	9934633469	26/4/17
6	Rajesh Kr.	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा	9430251344	26.4.
7	प्रवीण कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियॉ	9599065112	26/04/17
8	Vilash kumar JSA	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया	9801306480	26/04/17
9	मृणाल सेन JSA	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज	7561936733	26/4/17
10	Md. Salim Ansari	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कटिहार	8804853243	Ansari 26/4/17.
11	[illegible]	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर	9955288574	26/4/17
12	Ramadhar Ram	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, लखीसराय	8986273241	26/4/17
13	मदन नारायण सिंह स० सां० पदा०	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा	9431681480	[illegible]
14	[illegible]	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जमुई	9430532014	26/4/17
15	विजय शंकर	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया	9430666385	26/4/17
16	सत्येन्द्र कुमार चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय	9955649719	26/4/2017
		निदेशालय(मुख्यालय) के पदाधिकारी / कर्मी		
17	श्री उपेन्द्र कुमार दास	व० सं० निदेशक	9801704436	26/4/17
18	श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा	उप निदेशक		26.4.17

1029

1	2	3	4	5
19	श्री निर्भय कुमार	उप निदेशक	9430450203	[signature] 28.04.17
20	श्री विष्णु दयाल पंडित	उप निदेशक		
21	श्री अजय कुमार चौधरी	सहायक निदेशक	8002602191	[signature] 26/4/17
22	श्री महेश प्रसाद	सहायक निदेशक	9852221565	[signature] 26/4
23	श्री जितेन्द्र प्रसाद	सहायक निदेशक	9431660283	[signature] 26/4/17
24	संजय लाल	[illegible]	9431261122	सं. लाल
25	संजय कुमार	[illegible]	9431261878	[signature]
26	[illegible]	[illegible]	9431435925	[signature] 26/4
27	[illegible]	[illegible]	8294656522	[signature] 26/4
28	[illegible]	M. I. Sec [illegible]	9334994819	[signature] 26/4/17
29	वीरेन्द्र कुमार सिंह	[illegible]		[signature] 26/4/2017
30	मो० मुन्ना अंसारी	क० सां० सहा० उपनिदेशक सां० कार्यालय [illegible]	9097774801	मो० मुन्ना 26/4/17
31				
32				